कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, झालावाड़

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़ द्वारा जिला/वनमण्डल झालावाड़ में Extention of Kolana air strip at Jhalawar के निर्माण कार्य में 120.4062 है. वनभूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/OTHERS/21735/2016 पर दिनांक 07.10.2016 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव को परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी हैं। उक्त प्रस्ताव की कमियो को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।–

क्र.सं..	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1 (iii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के उद्देश्यों का खुलासा पूर्ण रूप से नही किया गया है इसमें योजना का नाम, पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के बारे में, किस उद्देश्य बाबत् कितनी वन भूमि ली जा रही हैं पूर्ण उद्देश्य का विवरण लिखा जावें।	पूर्व में 1700 मीटर लम्बाई की हवाई पट्टी बनाई गयी थी। जिसको 3000 मी. बढ़ाने का प्रस्ताव है। उद्देश्य अनुसार सम्पूर्ण विवरण अतिरिक्त दस्तावेंजों के साथ सलंग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-1 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में इसी उद्देश्य हेतु वन भूमि 9.71 है. के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं किया गया है जो किया जाना अपेक्षित है	पूर्व में 9.71 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भिजवायें हुयें है। जिसमें कुछ आक्षेप आये थे जिनकी पूर्ति कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1990 दि. 14.12.16 से भिजवा दिया गया है।
3	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक ही कम्पोनेंट दिया गया है जबकि इसमें आप द्वारा 6 कम्पोनेंट दर्शाये गयें है। अतः सम्पूर्ण कम्पोनेट का विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.4 में एक ही कम्पोनेंट दिया गया है जिसमें छः कम्पोनेंट नही दर्शाये है। छः गाँवों की जमीन का विवरण दिया गया है। जो कि बिन्दु संख्या B-2.3 मे संलग्न की गई थी।
4	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (ii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत KML File में वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नही किया गया है। इसमें वन सीमा का भी सीमांकन नहीं किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार KML File Polygon shape में आवश्यक संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।	KML File में वन भूमि Polygon shape दर्शायी गयी है। एवं वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण अंकित कर दिया गया है। वन भूमि का सीमांकन Polygon shape में कर दिया गया हैं।
5	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (iii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत GT Sheet में वन सीमा का सीमांकन तो किया गया है किन्तु वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है। GT Sheet में आवश्यक संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।	GT Sheet में वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या D में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में 9.71 है. का प्रस्ताव भिजवाने के समय न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र भिजवाया गया था। क्या प्रस्ताव में	पूर्व में 9.71 है. का प्रस्ताव भिजवाते समय हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. प्रस्तावित थी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस हवाई पट्टी की लम्बाई 3000 मी. तक बढाये जाने का प्रस्ताव है।

	एक्सटेंशन पूर्व से निर्धारित था। इस संबंध में यूजर ऐजेन्सी अपनी स्पष्ट टिप्पणी प्रस्तुत करें।	
7	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या k-(i) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FRA Certificate में ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है। इसमें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही न करके एयर स्ट्रिप एक्टेंशन की स्वीकृति दी गई है जो उचित नही है संशोधित प्रमाण पत्र लिये जाने अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर से जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र मय संलग्न लिया जाना अपेक्षित है। निर्धारित प्रपत्र विभागीय बेबसाइट www.forest.rajasthan@gov.in – departmental wings- forest conservation- orders & circulars पर उपलब्ध है।	जिला कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के विरूद्ध गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। अतः इससे संबंधित KML File, GT Sheet & DGPS Map दिये जाना अपेक्षित है।	वन भूमि प्रत्यावर्तन के विरूद्ध गैर वन भूमि माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटित कर दी गई है। जिसे उपवन संरक्षक झालावाड़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6656 दि. 21.12.16 से सहमति दी जा चुकी है।
9	निम्नानुसार अतिरिक्त सूचनाएँ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जानी अपेक्षित है 1. प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां	1. प्रस्ताव की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति के लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उनके पत्र क्रमांक 26 दिनांक 9.1.2017 से राज्य सरकार को लिखा गया है वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी।
	2. कम्पोनेट अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव का लम्बाई चौड़ाई का विवरण	कम्पोनेट अनुसार वन भूमि क्षेत्र का Polygon बनाया गया है जिसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग है।
	3. बार चार्ट	साथ में संलग्न है
	4. प्रस्ताव विवरण	कोलाना हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. से 3000 मी. किया जाना प्रस्तावित है।
	5. मलवा निस्तारण योजना	संलग्न है
	6 पूर्व प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी का जा चुकी है यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में पूर्ण पालना अभी भी नही भिजवाई गई है। इसके अतिरिक्त बिना सक्षम स्वीकृति के एयर स्ट्रिप निर्माण कर लिया गया है। इस बारे में यूजर एजेन्सी द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना प्रस्तावित है	पूर्व प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट एवं स्पष्टीकरण यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 1990 दि. 14.12.16 द्वारा भिजवा दिया गया है
	7. पुराने प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र संलग्न किया जाना है।	पुराना प्रस्ताव की कार्यवाही अलग से चल रही है। अतः उसको निरस्त करने का कोई औचित्य नही है

अधिषाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड झालावाड़